

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 583]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2011—पौष 3, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2011

क्रमांक 7487-451-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४१ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०११

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ९-ख का संशोधन.
३. धारा ५७ का संशोधन.
४. अनुसूची-१ का संशोधन
५. अनुसूची-२ का संशोधन
६. निरसन तथा व्यावृत्ति

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४१ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के उपबंध १ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा ४ के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा ९-ख का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ९-ख में,—

(एक) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन कोई कर उन संव्यवहारों के संबंध में उद्गृहीत नहीं किया जाएगा जो संकर्म संविदा की प्रकृति के हों और जिन पर धारा ९ के अधीन संकर्म ठेकेदार के रूप में कर देयक हो.”

(दो) उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु कोई ऐसा तालिकांकित (एनरोल्ड) भवन निर्माता तथा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने १ अप्रैल, २०११ के पूर्व क्रय किए गए माल का किसी भवन के निर्माण में ३१ मार्च, २०११ तक या उसके पश्चात् उपभोग किया हो, और इस प्रकार निर्मित भवन, १ अप्रैल, २०११ को या उसके पश्चात् बेचा गया हो या पट्टे पर दिया हो, ऐसे माल के संबंध में आगत कर की रिबेट का दावा करने का पात्र होगा और उसे इसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा.”

धारा ५७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५७ में, उपधारा (२) में, तृतीय परन्तुक में, दो बार आने वाले शब्द “प्रवेश करने” के स्थान पर शब्द “यथास्थिति, प्रवेश करने या छोड़ने” स्थापित किए जाएं.

अनुसूची-१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में, अनुक्रमांक ८७ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“८८. सेल्यूलर फोन के टॉक टाइम तथा सेवा प्रभार के पूर्व भुगतान (प्रीपेमेंट) के लिये रिचार्ज वाउचर.”

अनुसूची-२ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में, भाग-२ में, अनुक्रमांक २२ के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“२२क. कोल एश जिसमें सिंडर सम्मिलित है. ५”

६. (१) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०११ (क्रमांक २ सन् २०११) एतद्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

क्र. 7488-451-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 41, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 41 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH VAT (THIRD AMENDMENT) ACT, 2011

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 9-B.
3. Amendment of Section 57.
4. Amendment of Schedule I.
5. Amendment of Schedule II.
6. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT
No. 41 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH VAT (THIRD AMENDMENT) ACT, 2011

[Received the assent of the Governor on the 22nd December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 24th December, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Third Amendment) Act, 2011.

Short title and commencement.

(2) (a) The provision of Section 2 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2011.

(b) The provision of Section 4 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2006.

(c) The remaining provisions of this amending Act shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 9-B.

2. In Section 9-B of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) after sub-section (1), the following explanation shall be inserted, namely:—

“**Explanation.**—No tax under this section shall be levied in respect of the transactions which are in the nature of works contract and on which tax is payable under section 9 as a works contractor.”;

(ii) in sub-section (4), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that an enrolled builder and a registered dealer who has consumed the goods purchased before 1st April, 2011 in the construction of a building upto or after 31st March, 2011 and the building so constructed is sold or leased on or after 1st April, 2011, shall be eligible to claim or be allowed input tax rebate in respect of such goods.”.

Amendment of Section 57.

3. In Section 57 of the Principal Act, in sub-section (2), in third proviso, for the word “entering” occurring twice, the words “entering or leaving, as the case may be,” shall be substituted.

Amendment of Schedule I.

4. In Schedule I to the Principal Act, after serial number 87, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

“88. Recharge voucher for pre-payment of cellular phone talk-time and service charges.”.

Amendment of Schedule II.

5. In Schedule II to the Principal Act, in part II, after serial number 22, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“22A. Coal ash including cinder 5”.

Repeal and saving.

6. (1) The Madhya Pradesh Vat (Amendment) Ordinance, 2011 (No. 2 of 2011) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.